# विद्यालय के कंप्यूटर विभाग व सीएमपी (ई- वेस्ट) के अनुपयोगी सामानों जेसे कंप्युटर,मॉनीटर,स्पीकर,मोडेम,इनरैक्टिव बोर्ड,आई-पेड ,Projector स्क्रीन ,फोटो copier व अन्य ई-वेस्ट के निस्तारण की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, भोपाल में कंप्यूटर विभाग तथा सीएमपी (ई- वेस्ट) के अनुपयोगी सामानों ) व कंप्युटर,मॉनीटर,स्पीकर,मोडेम,इनरैक्टिव बोर्ड,आई-पेड ,Projector स्क्रीन ,फोटो copier अन्य **ई-वेस्ट** के निस्तारण करने के लिए मुहरबंद रेट "**जहां है जैसी है**" के आधार पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। दर अंकितकर्ता अपनी फर्म के लेटरहेड /आवेदन पर रेट अंकित करके उसके साथ ई- वेस्ट का लाइसेंस व आमानत राशि ( सिक्युरिटी ) 1000/- रु का Demand ड्राफ्ट KV No.1, VIDYALAYA VIKAS NIDHI संलग्न कर उसे लिफाफे में सीलबंद कर विद्यालय में जमा कराना होगा | **ई- वेस्ट के लिए** रेट उसी फॉर्म के मान्य होंगे जिसके पास सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त ई- वेस्ट का लाइसेंस हो और जो Central Pollution Control Board / State Pollution Control Board से मान्यता रखता हो ।

लिफाफे पर **"अनुपयोगी E-WASTE व अनुपयोगी कंप्यूटर सामान के लिए रेट"** आवश्यक रूप से लिखें। अनुपयोगी सामान दिनांक 19.03.2025 से 26.03.2025 तक विद्यालय कार्य दिवस में दोपहर 12:00 से 3:00 के मध्य विद्यालय परिसर में आकर देख सकते हैं और अपने रेट सीलबंद लिफाफे में दिनांक 19.03.2025 से 25.03.2025 के बीच में दोपहर 12:00 से 3:00 के बीच में जमा कर सकते हैं । सीलबंद रेट के लिफाफे दिनांक-28.03.2025 को दोपहर 12:00 बजे सक्षम अधिकारी के समक्ष खोले जाएंगे तथा जिसके रेट सर्वाधिक होंगे उसे उसी समय अनुपयोगी सामान की 50% राशि नगद जमा करना अनिवार्य होगी तथा 3 कार्य दिवसों में अनुपयोगी सामान को विद्यालय से ले जाना का अधिकारी होगा ।

तदुपरांत ई - वेस्ट फर्म को सामान देने या नहीं देने के सर्वाधिकार विद्यालय के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होंगे । विद्यालय के कर्मचारी अथवा उनके परिवार के कोई भी सदस्य या संबंधी इस प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

**नियम एवं शर्तें:-**

1. सर्वाधिक दर अंकितकर्ता को विद्यालय की समस्त नियम एवं शर्तें मान्य होंगी ।
2. सर्वाधिक दर अंकितकर्ता उस सामग्री की राशि देने में असफल रहता है तथा सामग्री को कथित समय में ले जाने में असफल रहता है उक्त वस्तु के अगले सर्वाधिक रेट अंकित करने वाली फॉर्म को देने की प्रक्रिया की जाएगी।
3. सर्वाधिक दर अंकित हो जाने के बाद विद्यालय की किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं होगी।

18/03/2025

प्राचार्य

प्राचार्य / PRINCIPAL
पीएमश्री केन्द्रीय विद्यालय क्र.1, भोपाल
PMSHRI Kendriya Vidyalaya No. 1, Bhopal

प्रतिलिपि ईमेल से सूचनार्थ -:

1. अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन सीमिति
2. उपायुक्त भोपाल ,कार्यालय क्षेत्रीय ,केंद्रीय विद्यालय संगठन ,
3. प्राचार्य भोपाल संभाग ,समस्त केंद्रीय विद्यालय ,
4. विद्यालय का सूचना पटल
5. विद्यालय कि वेबसाइट https://no1bhopal.kvs.ac.in/